संख्या-120/2018/1126/26-3-2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 18 अप्रैल 2018

विषय:- रिट याचिका संख्या-38498/2017 सुधांशु श्रीवास्तव व 2 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के अन्तर्गत पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-28.08.2017 के अनुपालन में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त प्रकरण पर मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनांक-28.08.2017 के अनुपालन में एवं निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-104/स.क./ शिक्षा-अ/3/154/2018-19, दिनाक-16.04.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त याची श्री सुधांशु श्रीवास्तव व 02 अन्य की वर्ष 2016-17 की सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि कुल रूपये-1,28,400/-(रूपये एक लाख अठ्ठाईस हजार चार सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान संख्या-80 के योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रशासकीय विभाग वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कुल व्यय को बजट प्राविधान के अन्तर्गत रखा जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/ दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च 2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

पृ.संख्या-120/2018/1126(1)/26-3-2018 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, अलीगढ़ ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।